सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 514
10/07/2017

लोक सूचना पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आर्थिक दण्ड

पटना–10 जुलाई, 2017 :– राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त श्री बी0के0 वर्मा ने वाद सं0–100877/13–14 के मामले में पीआईओ–सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, औरंगाबाद को आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त ने आवेदक श्री अजीत कुमार सिंह को ससमय सूचना नहीं देने, अपने कार्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने तथा आयोग द्वारा दिए गए निदेश की अवहेलना करने के एवज में अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत 25000/– (पचीस हजार) रुपये का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। इसके साथ ही लगाये गए आर्थिक दण्ड की कटौती हेतु जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को निदेश दिया है कि वे राशि की कटौती कर इस आशय की सूचना से आयोग को भी अवगत करायें।

ज्ञातव्य है कि इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक 4 अगस्त 2017 को अपराह्न ढाई बजे अपराह्न आयोग कार्यालय में होगी।

******